

निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

पत्रांक: 201575 नि०वि०ले०/ले०सं०अधि०/स०लेखा०-स्था०/2024-25, दिनांक 19 अगस्त, 2025।

कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)

इस निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 168705/नि०वि०ले०/ले०सं०अधि०/स०लेखा०-स्था०/2024-25, दिनांक 26 अप्रैल, 2025 द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या 01 वर्ष 2018)" की धारा 4(3) एवं धारा 5(1) के आलोक में राज्य के समस्त राजकीय विभागों में एकीकृत लेखा संवर्ग के पदों (सहायक लेखाकार एवं लेखाकार) का सुगम एवं दुर्गम कार्यालयों/तैनाती स्थलों का चिन्हीकरण गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 171927/नि०वि०ले०/ले०सं०अधि०/स०लेखा०-स्था०/2024-25, दिनांक 08 मई, 2025 संशोधित किया गया है।

2- उक्त ज्ञाप के क्रम में सुश्री बबीता पाल, सहायक लेखाकार, राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर से सुगम-दुर्गम चिन्हीकरण में संशोधन हेतु प्राप्त पत्र दिनांक 20.06.2025 को तर्कसंगत होने दृष्टिगत उक्त कार्यालय ज्ञाप साथ सलग्न तालिका में क्र०स०- 486 पर अंकित मुख्यालय, निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, को वर्तमान प्रास्थिति के दृष्टिगत उक्त आदेश संख्या- 168705 की तिथि से सुगम घोषित किया जाता है तथा अन्य शेष तैनाती स्थल उपरोक्त आदेशानुसार सुगम-दुर्गम रहेंगे।

पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 168705/नि०वि०ले०/ले०सं०अधि०/स०लेखा०-स्था०/2024-25, दिनांक 26 अप्रैल, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

(गंगा प्रसाद)
निदेशक।

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव वित्त, अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

—ह०—
(गंगा प्रसाद)
निदेशक।